Job on Compensation ground

आदेश

विश्वविद्यालय के कर्मी **स्व0 श्री लहुरी**, पदनाम–**वार्ड ब्वाय कम स्ट्रेचर वीयरर**, विभाग–**परिसर चिकित्सालय** का सेवाकाल में रहते हुए आकस्मिक निधन दिनांक **01.11.2021** को हो जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी मृत सरकारी कर्मचारी आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश सं. ई–12164/जी.एस. दिनांक 30.11.2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर गठित मृतक आश्रित सेवायोजन समिति की संस्तुति दिनांक 11.03.2022 के आधार पर **मृतक स्व. श्री लहुरी के पुत्र श्री सालिक राम** को मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय सेवा में **सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय** के अन्तर्गत अधिष्ठाता, कार्यालय में रिक्त **परिचर**, PB-1 Pay Matrics Level-1 Rs. 18000+DA+other allowances के पद पर अनुकम्पा के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है। इनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में इनकी सेवायें बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/शपथ–पत्र/अन्य अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने की स्थिति में यदि कोई भी अभिलेख त्रुटिपूर्ण या गलत पाये जाते हैं, तो इनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी तथा इनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जा रही है, अतः इस पर की गयी नियुक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्री सालिक राम को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे:–

1. जिला चिकित्साधिकारी अथवा विश्वविद्यालय चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. रू0 10/– के स्टाम्प सहित निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ अनुबन्ध पत्र।
4. रू0 10/– के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र की सेवायोजन के पूर्व प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षिक अभिलेख/शपथ–पत्र एवं अन्य प्रपत्र पूर्ण रूप से वैध एवं वास्तविक हैं। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पायी जाय तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर **श्री सालिक राम** को अपनी योगदान आख्या **अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय** को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

ह0/–
(बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/स्था./मृतक आश्रित/व्य./2022/ 43 दिनांक–07 अप्रैल, 2022

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय।
2. वित्त नियंत्रक।
3. श्री सालिक राम पुत्र स्व0 श्री लहुरी, ग्राम व पोस्ट–बिरौलीझाम, जिला अयोध्या **(पंजीकृत)**।
4. स्थापना–1 व 5, स्थापना अनुभाग।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(ए0के0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं परिवीक्षण

M-JA-Mritak Ashrit-Order-2020

Administrative Officer